कार्यालयः महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश।

संख्या–प्रशि.प्रको. / लखनऊ : दिनांक 15/9/ 2016

नवीन

–:: आदेश ::–

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में प्रादेशिक चिकित्सा, स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के विशेषज्ञ चिकित्साधिकारियों के सेवा निवृत्ति के उपरान्त 65 वर्ष की आयु तक पुनर्योजन प्रदान किये जाने सम्बन्धी चिकित्सा अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–157 / सेक–2–पॉच–14–7(255) / 13, दिनांक 13.01.2014 सपठित शासनादेश संख्या–1961 / सेक–2–पॉच–14–7(255) / 13, दिनांक 18.06.2014 एवं संख्या–965 / सेक–2–पॉच–16–7(255) / 2013, दिनांक 10.03.2016 में अंकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन **निम्नलिखित चिकित्सकों** को परामर्शी (कन्सल्टैन्ट) के रूप में **उनके नाम के सम्मुख अंकित चिकित्सालय** में नियमित चिकित्साधिकारियों से पद भरे जाने अथवा एक वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने की तिथि, जो भी पहले हो, तक के लिए एतद्द्वारा तात्कालिक प्रभाव से निम्न प्रतिबन्धों / शर्तों के अधीन पुनर्योजित किया जाता है।

(1) पुनर्योजन केवल विशेषज्ञ चिकित्सकों का ही किया जायेगा। विशेषज्ञ चिकित्सकों को कोई प्रशासकीय पद नहीं दिया जायेगा। पुनर्योजन की अवधि में इन्हें संवर्गीय पदनाम नही दिया जायेगा। पुनर्योजन की अवधि में विशेषज्ञ के रूप में कन्सलटेन्ट अथवा परामर्शी कहा जायेगा।

(2) पुनर्योजन की अवधि पेंशन के लिए नहीं गिनी जायेगी और पद का कार्यभार ग्रहण करने अथवा उसकी समाप्ति पर कोई यात्रा भत्ता नही देय होगा।

(3) पुनर्योजन पर तैनात किये जाने वाले विशेषज्ञ चिकित्सकों को पुनर्योजन की अवधि में वह नियत वेतन अनुमन्य होगा जो उसकी शुद्ध पेंशन की धनराशि को सम्मिलित करते हुए उनके द्वारा अन्तिम आहरित वेतन या पुनर्योजित पद के वेतनमान के अधिकतम, जो भी कम हो, पुनर्योजन की अवधि में विशेष वेतन उसी दर पर देय होगा जो पुनर्योजन से पूर्व अनुमन्य था।

(4) पुनर्योजित विशेषज्ञ चिकित्सकों को अस्थायी कर्मचारी की भॉति वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–2, भाग–2 से 4 के सहायक नियम–157ए तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर पारित आदेशों के अनुसार अवकाश देय होगा।

(5) पुनर्योजन की अवधि में विशेषज्ञ चिकित्सकों को यात्रा तथा दैनिक भत्ते उनके वेतन व शुद्ध पेंशन के योग के अनुसार अनुमन्य दरों पर देय होंगे जैसा कि यात्रा भत्ता नियम–16–ए में प्राविधानित है।

(6) पुनर्योजन पर नियुक्त विशेषज्ञ चिकित्सकों को आपातकालीन सेवाओं / आकस्मिक सेवाओं हेतु उपलब्ध रहना होगा।

(7) जनपदवार / विशेषज्ञतावार पुनर्योजित विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवायें संतोषजनक न पाये जाने पर अस्थायी सरकारी सेवक की भॉति एक माह की अग्रिम नोटिस देकर उनकी सेवायें समाप्त की जा सकेंगी। पुनर्योजन पर तैनात विशेषज्ञ चिकित्सक भी एक माह की अग्रिम नोटिस देकर सेवा मुक्त हो सकता है।

(8) पुनर्योजन पर तैनात विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीजों को अस्पताल में सरकारी नियमों के अन्तर्गत उपलब्ध दवाओं को ही संस्तुत करेंगे तथा उनके द्वारा किसी भी रूप में प्राइवेट प्रैक्टिस नही की जाएगी। इसका उल्लघंन करने पर तत्काल प्रभाव से पुनर्योजन समाप्त कर दिया जायेगा।

2– सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी / मुख्य चिकित्सा अधीक्षक / सक्षम अधिकारी द्वारा चिकित्सक की तैनाती के पूर्व चिकित्सक से इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त कर लिया जाय कि सेवा काल के दौरान न तो सी0बी0आई0 जॉच / न तो सतर्कता जॉच न ही अनुशासनिक कार्यवाही तथा न ही कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन है।

3– सम्बन्धित चिकित्सक की तैनाती के पूर्व सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी / मुख्य चिकित्सा अधीक्षक / सक्षम अधिकारी द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि संबंधित चिकित्सक की स्वास्थ्यता के सम्बन्ध में अपेक्षित स्वास्थ्यता प्रमाण पत्र अवश्य उपलब्ध करा दिया जाय।

4– यदि किसी चिकित्सक द्वारा पुनर्योजन के आधार पर तैनाती से पूर्व उक्तानुसार अपेक्षित शपथ पत्र और स्वास्थ्यता प्रमाणपत्र उपलब्ध नही कराया जाता है, तो उनकी तैनाती/पुनर्योजन न किया जाये, बल्कि ऐसे प्रकरणों को पुनः महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 के संज्ञान में लाया जाय।

5– पुनर्योजित विशेषज्ञ परामर्शी को सेवानिवृत्त तिथि अथवा आदेश निर्गत तिथि, जो भी बाद में हो, से एक माह के अंदर प्रत्येक दशा में पुनर्योजित पद पर सेवा में योगदान करना होगा, यदि पुनर्योजित परामर्शी उपरोक्तानुसार एक माह में सेवा में योगदान नहीं करते हैं। तो यह माना जायेगा कि सम्बंधित परामर्शी कार्य करने के इच्छूक नहीं है और उनके पुनर्योजन को स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

क्र0 सं0	नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	सेवा निवृत्त तिथि	विशेषज्ञता	चिकित्सालय /जनपद का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1.	डा0 राजेन्द्र पाल वार्ष्णेय–8502	डा0 बृजपाल वार्ष्णेय	13.07.1956	31.07.2016	एम0डी0 (मेडिसिन)	जिला चिकित्सालय, अलीगढ़
2.	डा0 वृन्दावन आर्या–5541	स्व0 श्री हल्के	25.07.1956	31.07.2016	डी0वी0डी0	जिला चिकित्सालय, उरई (जालौन)
3.	डा0 यतीन्द्र भारद्वाज–6508	श्री मथुरा प्रसाद शर्मा	01.07.1956	30.06.2016	एम0एस0 (सर्जरी)	मलखान सिंह जिला चिकित्सालय अलीगढ़
4.	डा0 एजाज अहमद खॉ–8171	स्व0 श्री0 शरफद्दीन	15.07.1956	31.07.2016	डी0 आर्थ0	जिला चिकित्सालय, आगरा
5.	डा0 संतोष कुमार श्रीवास्तव–8170	स्व0 श्री राम नेवाज श्रीवास्तव	10.07.1956	31.07.2016	एम0डी0 (पैथालॉजी)	टी0बी0 सप्रू चिकित्सालय इलाहाबाद
6.	डा0 योगेन्द्र देव शर्मा–8173	स्व0 श्री धर्मेन्द्र नाथ शर्मा	20.07.1956	31.07.2016	डी0एम0आर0डी0	जिला चिकित्सालय, गाजियाबाद
7.	डा0 अशोक कुमार सिंह–8385	स्व0 श्री रामपाल सिंह	05.08.1956	31.08.2016	डी0टी0सी0डी0	संयुक्त जिला चिकित्सालय, कानपुर देहात
8.	डा0 प्रदीप कुमार अग्रवाल–5367	स्व0 श्री देवी प्रसाद	25.06.1956	30.06.2016	डी0ए0	जिला चिकित्सालय इलाहाबाद
9.	डा0 महेन्द्र कुमार जैन–8991	स्व0 श्री गुलाब चन्द्र जैन	01.08.1956	31.07.2016	एम0एस0 (नेत्र)	जिला चिकित्सालय झॉसी
10.	डा0 बसन्तलाल रस्तोगी–6081	श्री भुन्नी लाल	30.06.1956	30.06.2016	डी0सी0एच0	जिला चिकित्सालय गोण्ड़ा
11.	डा0 सोनू केसवानी–7436	श्री मिलमिल राम	05.06.1956	30.06.2016	एम0डी0 (मेडिसिन)	जिला संयुक्त चिकित्सालय, संतकबीरनगर
12.	डा0 प्रेम कुमार त्यागी–5742	स्व0 श्री बलवन्त सिंह त्यागी	09.08.1956	31.08.2016	डी0सी0पी0	जिला चिकित्सालय, मुजफफ्रनगर
13.	डा0 मो0 आरिफ फारूकी–6876	स्व0 श्री सनाउलहक फारूकी	25.07.1956	31.07.2016	डी0 आर्थ0	जिला संयुक्त चिकित्सालय, संतकबीरनगर
14.	डा0 प्रमोद कुमार–6427	श्री राम लक्ष्मण सिंह	27.07.1956	31.07.2016	एम0डी0 (मेडिसिन) एवं डी0वी0डी0	जिला चिकित्सालय, आगरा
15.	डा0 उपेन्द्र कुमार वर्मा–5349	श्री विश्वनाथ प्रसाद वर्मा	09.07.1956	31.07.2016	डी0टी0सी0डी0 (टी0बी0 चेस्ट)	जिला चिकित्सालय, चंदौली